...लत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2023/124

श्री ... श्री ...

काना बनाम रामकरण वगैरह (124/2023)

4.5.23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 27.04.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन में निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही है क्योंकि उक्त प्रकरण में लिप्त आराजी तत्कालीन खातेदार काश्तकार इन्दर सिंह पुत्र रामानाथ जाति राजपूत से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1968 के द्वारा अपीलांट की खरीद शुदा आराजी है जो अपीलांट स्वयं की अर्जित खरीदशुदा आराजी का खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। वादी का कोई हिस्सा नही है किन्तु जो झूठे तथ्य अंकित किये गयें परन्तु अकाण ही साक्ष्य का अपीलांट/प्रतिवादी को अवसर दिये बिना अन्तरिम आदेश पारित किया गया। उक्त आराजी से वादी एवं अन्य परिवार के सदस्यों का सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के न्यायहितो के विरूद्ध अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया जो राजस्व अभिलेख व विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के आदेश 39 नियम 3 क की कथई पालना नहीं की गई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.04.2023 विधि सम्मत है जिसकी अवधि आगे बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 120 रकबा 0.8899 है0 है जो भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित की नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 की आयु भूमि खरीद करते समय मात्र 13 वर्ष की थी। उपरोक्त भूमि श्रीमती तीजा बेवा मांग द्वारा इन्दर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जातिं राजपूत से पारिवारिक कोष से राशि संदाय कर खरीद की थी तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1लगायत 06 एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगाायत 12 के पूर्वाधिकारी लक्ष्मण उपरोक्त भूमि पर अपनी माता श्रीमती तीजा के साथ संयुक्त रूप से काश्त कर उपयोग करते थे। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपरोक्त वर्णित भूमि में स्वयं एवं स्वयं के परिवार के रहवास के लिए समस्त अप्रार्थीगण की जानकारी में साधिकार आवासीय पक्का मकान व कृषि उपज भण्डारण कृषि उपरकरण रखने के लिए सम्पूर्ण भूमि के 1/50 हिस्से में निर्माण किया था एवं प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अपने परिवारजन के साथ उपरोक्त मकान में खुल्लम खुल्ला साधिकार पूर्ण स्वामी स्वरूप रहवास करता कराता आ रहा है तथा साथ-साथ तारबंदी कर पेड़ पौधे लगा रखे है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ही अपने बहनों के हिस्से की भूमि को उनके निर्देशानुसार संयुक्त रूप से काश्त करता, कराता आ रहा है। अप्रार्थी/अपीलांट एवं उसके पुत्र करतार, भागचन्द व गोपाल आदि ने एक राय होकर दिनांक 26.12.2022 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की तारबंदी को नष्ट करने लगे तथा इसके पश्चात दिनांक 29.12.2022 को रात्रि में एवं पुनः दिनांक 17.01.2023 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की तारबंदी को नष्ट क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट व उनके परिवारजन को यह धमकी दी कि मौका पाकर वह

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के निवास में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी को बलात् बेदखल करके रहेगें, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ तथा वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने दिनांक 25.01.2023 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.8899 है0 वाकै ग्राम फलौदा तहसील किशनगढ़ की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है।अप्रार्थी/अपीलांट काना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ किन्तु अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। चूँकि यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी कें मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है जिससे अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नही होती है, यदि उनको कोई आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जा. दी. के तहत् कार्यवाही करना चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की विचाराधीन रहते विवादित आराजी बाबत् मौके की यथास्थिति बनायीं रखी जाने के आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत है, अप्रार्थी/अपीलांट को उक्त आदेश से कोई आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि दिनांक 17.04.2023 को पारित अन्तरिम स्थगन आदेश को वैकेट किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1968 को क्रय की हैं। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलांट को बिना सुनवाई कर जो आदेश पारित किया है। यदि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी/अपीलांट को कारित होगी,क्योंकि प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेर्जर है। विवादित आराजी पर उभयपक्ष द्वारा अपना–अपना हित–अधिकार बताया है हालांकि यह विषयवस्तु वाद में बाद साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात निर्धारित होगी। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध है चुँकि प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं तथा अप्रार्थी/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अप्रार्थी संख्या 01/प्रार्थी को भी पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री ... श्री ...

निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 3 सप्ताह में निस्तारण करें। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 17.04.2023 को प्रत्याहरित किया जाता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर इस आदेश की अवधि से 3 सप्ताह में निस्तारण करें । अभिभाषक उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner